..... I .....

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017 / 221** दायर दिनांक **02.08.2017**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरजाराम पुत्र नाथुराम, जाति नायक, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान		1. बंसन्त कुमार पुत्र बाबुलाल, 2. रूपाराम पुत्र बाबुलाल, 3. पूरणी पत्नि बाबुलाल, 4. राजू पुत्र दुर्गाराम, 5. कालु पुत्र दुर्गाराम, 6. सन्तरा देवी पत्नि दुर्गाराम, 7. शोभा देवी पुत्री दुर्गाराम, 8. मुरली पुत्री दुर्गाराम, 9. शारदा पुत्री दुर्गाराम, 10. छोटी देवी पत्नि मोड़ूराम, 11. नाथुराम पुत्र मोड़ूराम, 12. भंवरी पुत्री मोड़ूराम, 13. सन्तोष पुत्री मोड़ूराम, 14. सुन्दर पुत्री मोड़ूराम, समस्त जाति नायक, निवासीगण सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 15. दोलाराम पुत्र चन्द्राराम, जाति जाट, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना 16. बोदुलाल पुत्र मांगीलाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना 17. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या ....2.... लगातार

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

—::प्राथमिक निर्णय ::— दिनांक 22.10.2017

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 14 एक ही परिवार के है, जिनकी वंशावली वाद में दर्शित है। वादी सुरजाराम के पिता लादुराम व दादा भैरूराम का स्वर्गवास हो चुका है, तथा प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के पिता बाबुलाल दादा मोहनराम, पड़दादा कानाराम, व बाबा पूर्णाराम की भी मृत्यु हो चुकी है। तथा इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 04 व 05 के पिता दुर्गाराम दादा मोडूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है।

खेत खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा वाके सुद्रासन स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 15 दोलाराम, प्रतिवादी नम्बर 04 ता 13 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा खेत खसरा संख्या 546 रकबा 5.18 बीघा, खसरा संख्या 655/542 रकबा 17.07 बीघा कुल 23.05 बीघा वाके सुद्रासन स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व मोडू पुत्र भेरू, पूर्णाराम, मोहन पुत्र कानाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकलें वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 546, 540, 655/542 वाके सुद्रासन की पूर्व में खातेदारी व कब्जा काश्त वादी के दादा लादुराम, प्रतिवादी राजू व कालू के दादा मोडूराम व प्रतिवादी बसंन्त व रूपा के परदादा कानाराम के नाम से रहा है। जिसका उल्लेख जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 में है, जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है। इस नकल से स्पष्ट रूप से साबित है कि उक्त खेत वादी के पैतृक है। खेत खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा, खसरा संख्या 546 रकबा 5.18 बीघा, खसरा संख्या 655/542 रकबा 17.07 बीघा कुल 28.10 बीघा वाके सुद्रासन स्थित है। इस खेत में 1/3 हिंस्से के हकदार वादी के पिता लादुराम, 1/3 हिंस्सा के हकदार स्वर्गीय कानाराम व 1/3 हिंस्से के हकदार मोडूराम रहे है। यह तिनो स्वर्गीय भैरूराम के जायन्दा पुत्र है उक्त खेतो का बंटवारा आज से करीब 30 वर्ष पहले ही कर लिया था, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 655/542 में से दक्षिणी 4.05 बीघा कुल 9.10 बीघा वादी के दादा लादुराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त है। इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 546 रकबा 5.18 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 655/542 रकबा 17.07 बीघा में से बीच का 3.12 बीघा कुल 9.10 बीघा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के बंट में आया, जिस पर पहले इनके पिता बाबुलाल का कब्जा काश्त रहा है।

इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 655/542 रकबा 17.07 बीघा में से दक्षिणी 9.10 बीघा प्रतिवादी 4 ता 13 का कब्जा काश्त है। जो पहले इनके पिता व दादा के बंट व कब्जा काश्त में रही है। इस प्रकार उक्त भूमि पर तीनो भाईयों का 1/3–1/3–1/3 हिंस्सा भूमि बंट व कब्जा काश्त में रही है। इस बंटवारे को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 ने सम्पूर्ण अपने हिंस्से की भूमि भी अन्य को बेचाण कर चुके है जिनसे हेमें कोई लेना देना नहीं है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या .....3..... लगातार

Scanned by CamScanner

उक्त खेतो की खातेदारी उपरौक्त बंटवारे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुयी, और तीनो ही खेतो में सभी पक्षकारो के नाम दर्ज रह गये, इन नामो की दुरूस्ती की जानी कानूनन जरूरी है। वादी का खसरा संख्या 546 से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजुद भी वादी की खातेदारी दर्ज है। जो नाम खसरा संख्या 546 की खातेदारी में से हटाया जाना जरूरी है। तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा में प्रतिवादी नम्बर 4 ता 14 का नाम हटाया जाकर वादी अकेले के नाम से खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जानी है, तथा उक्त खेतो का मौखिक रूप से बंटवारा वर्षो पहले ही हो गया, और उस बंटवारे के बाद पक्षकारान ने अपने अपने बंट के हिंस्सो में रिहायसी मकान बनाकर सपरिवार आबाद रूप से निवास करते आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है। लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होती है। इसलिये वादी उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा करवाने का जायज हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। वादी के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करें। इस बाबत उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी कानूनन अधिकारी है। क्योंकि वादी को उसके बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी के हिंस्सो से बेदखल कर दिया तो उसे अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं होगी। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है। प्रतिवादी नम्बर 15 दोलाराम को वादी द्वारा जमीन का विक्रय करने से खातंदार है, जिसकी खातेदारी यथावत रहेगी, तथा इस खसरा संख्या 540 में भंवरू खॉ, अलादीन खॉ, खान मोहम्मद के मकान बने हुये है। तथा स्वयं वादी का भी मकान है। लेकिन इनका नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है। खंत खसरा संख्या 540 मे से 1.15 बीघा की खातेदारी वादी घोषित करवाने का अधिकारी है क्योंकि इसमें से 2.10 बीघा भूमि तो प्रतिवादी दोलाराम को बेची जाने से खातेदारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बावत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का pw-1 सुरजाराम का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, खतौनी की नकल प्रदर्श –2, खतौनी की नकल प्रदर्श –3, वादी के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्श –4, ट्रैस नक्शा प्रदर्श –5 पेश किये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या .....4..... लगातार

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादी ने नजरी नक्शा के अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः नजरीनक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद सुद्रासन में स्थित खेत खसरा संख्या 546 रकबा 5.18 बीघा, खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा, खसरा संख्या 655/542 रकबा 17.07 बीघा कुल 28.10 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है, तहसीलदार, डीडवाना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो–दो प्रतियों में पेश करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 27.10.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015/रीडर/2017/1052 दिनॉक 21-11-17

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत् बंटवारा,
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

राजस्व वाद संख्याः **2017/221** निर्णय दिनॉक **16.10.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुरजाराम पुत्र नाथुराम, जाति नायक, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह	बनाम	1. बसन्त कुमार पुत्र बाबुलाल, जाति नायक, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हों।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner